



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28100-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29182 वर्ष 2025**

राजीव ढाका

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राहुल श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए, प्रत्यर्थी संख्या 2/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल श्रीवास्तव की ओर से उपस्थित श्री महेंद्र चड्ढा को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को थाना पल्लवपुरम, जिला मुरादाबाद में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर दिनांक 12.07.2016 के अनुक्रम में मुकदमा अपराध संख्या 293 वर्ष 2016 की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले का प्रथम सूचनादाता है और उसने 12.07.2016 को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त एफआईआर के क्रम में, पुलिस ने मामले की जांच की और 22.05.2018 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिका प्रस्तुत की। उक्त विरोध याचिका पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2025 के माध्यम से मामले में अग्रिम जांच के निर्देश दिए थे, जो अभी भी प्रगति पर है।

4. इसे देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा कोई और आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ता, यदि उचित समझे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 2 एससीसी 409 के मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकते हैं।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"